

मध्यप्रदेश शासन  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग  
मंत्रालय, भोपाल।

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 08.2013

क्रमांक एफ 16-24/2013/बी-ग्यारह : मेसर्स आर.एस.ए.एल. स्टील प्रा.लि. ग्राम सेजवाया, जिला धार का पूर्व स्थापित इकाई में विस्तार एवं विविधीकरण (Diversification) करने संबंधी प्रस्ताव के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति एवं कार्ययोजना, 2010 (यथा संशोधित, 2012) अंतर्गत निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे :-

- (1). उद्योग निवेश संवर्धन सहायता- 75 प्रतिशत की दर से 10 वर्षों के लिये।
- (2). प्रवेश कर से छूट- प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 5 वर्षों के लिये।
- (3). कम्पनी की अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग  
भोपाल, दिनांक 08-08.2013

पृ. क्रमांक एफ 16-24/2013/बी-ग्यारह,  
प्रतिलिपि,

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि./एमपी स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल। कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।
5. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर।
6. कलेक्टर, धार।
7. प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि., इंदौर।
8. संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, इंदौर।
9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार।
10. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स आर.एस.ए.एल. स्टील प्रा.लि., 501, महाकोश हाउस, 7/5, साउथ तुकोगंज, नाथ मंदिर रोड, इंदौर-452001 कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

JE

Pch

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग